

आर.सी.एम.एस. नं. 2016/00077

**अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई**

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बजईलास मलसीसर, जिला झुंझुनूं (राज0)  
पीठासीन अधिकारी:- साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

**मौहम्मद तौफिक सैयद बनाम विनोद देवी वगै0**  
**दावा बाबत घोषणार्थ, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**  
**मुकदमा नम्बर :- 110/2016**

**निर्णय**

निर्णय दिनांक :- 21.02.2022

यह मुबदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 19.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निदेशित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/1998 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21 माह 02 सन् 2022 को जारी की गई।



**साधुराम जाट**  
(आर.ए.एस.) 21/2/22  
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर  
उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर